



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 155732

दस्तावेज ट्रस्ट, (न्यास)

हम कि रामलखन यादव पुत्र श्री विजयशंकर यादव व गिरधर यादव पुत्र श्री विजयशंकर यादव मु-निजामुद्दीनपुरा, मऊनाथभंजन, जनपद-मऊ इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी हैं जो दिनांक 01/08/2017 को अस्तित्व में लाया गया। हम संस्थापक ट्रस्टी समाज सेवा जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, गरीबों के उत्थान, अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान करने में विशेष रुचि रखने के कारण इस ट्रस्ट की स्थापना करते हैं। मैं रामलखन यादव मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम व गिरधर यादव महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय नियुक्त करते हुए वी०एस०वाई० विद्या ट्रस्ट की स्थापना करने की घोषणा करते हैं ट्रस्ट का नाम, पता निम्नवत है।

द्रस्ट (न्यास) का नाम— वी०एस०वाई० दिघा द्रस्ट (न्यास)

द्रस्ट का पता -	मुहल्ला	निजामुददीनपुरा
	पोर्ट	मऊनाथ भंजन
	थाना	कोतवाली
	परगना	सदर
	तहसील	सदर
	जनपद	मऊ

मुख्यालय — पंजीकृत कार्यालय मु0— निजामुद्दीनपुरा मऊनाथ भंजन, जनपद—मऊ (उ0प्र0) आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

सदस्यों का नाम व पता-

१. श्री रामलखन यादव, पुत्र श्री विजयशंकर यादव, मु०-निजामुददीनपुरा, मऊ (मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम)

२. श्री गिरधर यादव पुत्र श्री विजय शंकर यादव, मु०- निजामुददीनपुरा, मऊ (महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय)

३. श्री मुरलीधर यादव पुत्र श्री अखिलेश यादव, 244, निजामुददीनपुरा-मऊ

४. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व० वंशी, ग्रा० बुढ़नपुर, किङ्गिहरापुर, बलिया (सदस्य)

५. श्री हरिनाथ सिंह यादव पुत्र स्व० पूर्णमार्सी, ग्रा०-देऊपुर, गाई, गाजीपुर (सदस्य) *Ramalakhan Yadav*

६. श्रीमती निर्मला पत्नी श्री विजय बहादुर, ग्रा०-तेन्दुली, पलिगढ़, मऊ (सदस्य)

७. श्रीमती विभा यादव पुत्री श्री शिवशंकर यादव, मु० गालिबपुर (भीटी), मऊ (सदस्य)

अम स० २२०२ स्टाप्प धनराशि ५०५।

स्टाष्य विक्रेय की तिथि 02-08-17

स्टाष्ट क्रय करने का प्रयोजन.. इस्तु, विद्या

स्टार्स क्रेंता का नाम व पुरा पता

0 1000


~~संस्कृता-यजुर् वेदान् शास्त्रान्~~

प्रसाद रा.
पा० १०० सदर-मक

100 नौ-०० लदर-मुक्त

1
THEORY





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 101303

- 8. महेन्द्र यादव पुत्र शिवलोचन यादव ग्रा०-भुड़सडी, पो० रत्नपुरा, जनपद-मऊ (सदस्य)
- 9. श्री अशोक यादव पुत्र शिवपूजन यादव, ग्राम-तेन्दुली, पलिगढ़-मऊ (सदस्य)

द्रस्ट का नाम— बी०एस०वाई विद्या द्रस्ट (न्यास)

द्रस्ट का पता— मु० निजामुद्दीनपुरा मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ

द्रस्ट का कार्यक्षेत्र— सम्पूर्ण भारतवर्ष


द्रस्ट का मुख्य उद्देश्य— द्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न स्थान पर शिक्षण संस्थाएँ यानि प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च स्तरीय महाविद्यालय, शैक्षणिक विद्यालय व चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कालेजों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना। ग्रामीण अंचल में मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ-साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना है। प्रौढ़ शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजिनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था करना एवं संचालन करना, शिक्षा को देश-प्रदेश के कोने-कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना, स्थापना करना, कम शुल्क में पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए द्रस्ट हर सम्भव प्रयत्नशील रहेगा। द्रस्ट भूमि भवन व पैर्शी की व्यवस्था कर देश-प्रदेश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन, मध्यम व दलितों को आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठायेगा, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना, खाद्य ग्रामोद्योग द्वारा चलायी गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना, विद्यालय, अनाथालय, छात्रावास, सांस्कृतिक, संस्था आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना, नारी उत्थान, बालोत्थान, कुर्षर्शगी, अस्पताल, प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना, सामाजिक पत्रिका, अखबार, लाईब्रेरी, कला केन्द्र, उद्यान, साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना, नर्सिंग होम की स्थापना करना, द्रस्ट दैवीय औपचार में जिला व राज्य प्रशासन का समय साधन से समय-समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। द्रस्ट सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय से समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी भूमि को क्रय-विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस द्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना एवं बी०टी०सी०, बी०ए३०, बी०पी०ए३०, टेक्निकल कालेज, सी०बी०ए०३० के स्कूलों की स्थापना उ० प्र० सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना। संस्थाओं के नामों का निर्णय द्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा।

Rakesh Yashpal

कल स ० २२०३ स्टाष्ट धनराजि ५७
स्टाष्ट विकेब की तिथि ०२-०८-१७
स्टाष्ट कर्य करने का प्रयोजन ४५५५
स्टाष्ट केता का नाम व पुरा पता ८८-०-२२०२

~~स्टार्ट अप कोर्स - ग्रेड असाध राय~~
ला० नं०- 100 सदर-पकु





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 101305

द्रस्ट का कार्यकाल— संस्थापक द्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा। प्रथम द्रस्टी के अन्त के बाद संस्थापक द्रस्टी की पत्नी या पुत्र जो भी हो संस्थापक द्रस्टी के पद का धारण करेंगे, इनके न रहने पर द्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा, मान्य होगा।

द्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता— श्री वी०एस०वाई० द्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21, 1960 अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत।

द्रस्ट की सदस्यता— द्रस्ट के संस्थापक द्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक द्रस्टी द्वितीय को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 9 होगी एवं द्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक द्रस्टी प्रथम, द्वितीय की सहमती से 1,00,000.00 रुपये सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है तथा इस द्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए द्रस्ट एक अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है। जिसमें द्रस्ट के सदस्यों के अतिरिक्त रु० 25,000.00 सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं। जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा, परन्तु प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक संस्थापक द्रस्टी होगा तथा अन्य संचालित सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक द्रस्टी ही होगा।

द्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य—

मुख्य संस्थापक संरक्षक द्रस्टी प्रथम—

- 1—संरक्षक द्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उपशाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देना।
- 2— संरक्षक द्वारा द्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिये गये निर्णय सर्वमान्य होंगे।
- 3— संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
- 4— किसी भी विचारणीय विषय पर समानमत होने पर एक निर्णायक मत देना।
- 5— आवश्यक कोगजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।
- 6— द्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
- 7— द्रस्ट (न्यास) वाहय एवं आन्तरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं द्रस्ट (न्यास) के विकास के तमाम संसाधन इकट्ठा करना व द्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना मुख्य संरक्षक द्रस्टी का कर्तव्य होगा।

Ramlakhan Yaelaw

क्रम सं० २२०४ अन्तर्राष्ट्रीय बनराजि ५०

स्थाप विक्रेय की तिथि ०२-०८-१७

स्टाप्स क्रय करने का पर्योजना

स्टार्ट कैंटा का नाम व पुरा पता 277-5-2202

~~स्टाप विहार-गोपनी वसाद गाँव~~
३० नं०-१०० सदर-मक्त



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

₹.50

भारत

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 101304

- 8— मुख्य संरक्षक द्रस्टी संस्थाओं के लिए भूमि भवन का क्रय—विक्रय लीज (पट्टा) करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करेगा।
- 9— द्रस्टी चल—अचल सम्पत्तियों को द्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।
- 10— द्रस्टी द्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुदान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है।
- 11— संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन व बर्खस्तागी करने का अधिकर संस्थापक द्रस्टी के पास सुरक्षित है।
- 12— संस्थापक द्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर $\frac{2}{3}$ बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक द्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा।
- 13— किसी भी सामान्य उद्देश्य से संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (द्रस्ट) में कर सकता है।

महासचिव संस्थापक द्रस्टी द्वितीय—

- 1— मुख्य संरक्षक द्रस्टी की अनुपस्थिति में उसके कार्य का सापादन महासचिव संस्थापक द्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य संरक्षक द्रस्टी को अवगत करायेगा।
- 2— बैठक बुलाना एवं सूचना देना।
- 3— द्रस्ट (न्यास) के उन्नति के लिए निर्देश देना।
- 4— नये सदस्यों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद जारी करना।
- 5— द्रस्ट (न्यास) में नये सदस्य बनाने संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति निष्कासन एवं पदोन्नति आदि का पूर्ण अधिकार महासचिव संस्थापक द्रस्टी को होगा।
- 6— द्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु बिभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाएँ प्रस्तुत करना तथा द्रस्ट (न्यास) के हित में समर्त कार्यों का सम्पादन करना।
- 7— अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियंमानुसार होंगे।
- 8— द्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने के लिए संरक्षक संस्थापक द्रस्टी एवं महासचिव संस्थापक द्रस्टी दोनों के सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।

सदस्य द्रस्टी—

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं द्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं द्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

Ramakrishna Rao

संख्या 2205 स्टाम्प बनारसी 55
स्टाम्प विक्रेता की तिथि ०२.०४.१७
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन... See 75
स्टाम्प केता का नाम व पुरा बता... 2202

स्टाम्प विक्रेता राजेश अल्लाद राज
लाल १०-१०० सदर-बजार



POST CARD

भारतीय प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 101306

द्रस्ट (न्यास) के अंग—

द्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।

1— साधारण सभा

2— प्रबन्धकारिणी द्रस्ट

साधारण सभा (गठन) — साधारण सभा का गठन द्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

बैठकें—

1— साधारण बैठकें— द्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार मार्च व सितम्बर माह में होगी।

2— विशेष बैठक— दो तिहाई सदस्यों की लिखित मँग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

सूचना अधिकारी— साधारण समिति में प्रबन्धकारिणी द्रस्ट समिति का महासचिव संस्थापक द्रस्टी एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा द्रस्टीयों की बैठक बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति— बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थिति होना आवश्यक है यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन— साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार दिसम्बर माह में होगा।

द्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य— साधारण सभा द्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

(अ) वार्षिक आय-व्यय बजट चेक करना।

(ब) द्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निश्चित करना।

(स) प्रबन्धकारिणी द्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।

(द) द्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय-समय पर उनके कार्यों को करना जो समिति के हित में हो।

द्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति—

गठन— साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें निम्न पद होंगे।

Ranlakshmi Yaelor

क्रम सं 220 दस्तावेज बनराजि 50/-
स्टाप्प विक्रेय की तिथि 02.08.17
स्टाप्प क्रय करने का प्रयोजन 50/-
स्टाप्प क्रेता का नाम व पुरा पता... रा. 2202

स्टाप्प विक्रेता-सदर प्रशासन राष्ट्र
लां नं०-100 सदर-अकु



गवाह

Registration No.: 104

Year : 2017

Book No. : 4

W1 विजयशंकर यादव

जगरनाथ यादव

निजामुद्दीनपुरा तहसील-सदर जनपद-मऊ

कृषि



W2 महेन्द्र यादव

शिवलोचन

सहादतपुरा तहसील-सदर जनपद-मऊ

कृषि





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 101307

प्रबन्धक, उपप्रबन्धक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य। कमेटी में द्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक द्रस्टी का होगा या संस्थापक द्रस्टी द्वारा भरा जायेगा। द्रस्ट में संस्थापक द्रस्टी एवं महासचिव संस्थापक द्रस्टी के सहमति से 25,000.00 रुपये सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं। किन्तु ये सदस्य द्रस्ट द्वारा संचालित किसी एक संस्था के लिए होंगे, इनकी अधिकतम संख्या 9 होगी एवं द्रस्ट से सदस्यों से अलग होंगे तथा इनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। द्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी। प्रबन्ध समिति कालातीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार द्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य द्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

बैठकें—

सामान्य— सामान्य स्थिति में द्रस्ट (न्यास) का महासचिव / संस्थापक द्रस्टी प्रबन्धकारिणी द्रस्टी के मुख्य संरक्षक संस्थापक द्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष— विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी द्रस्टी का $\frac{2}{3}$ सदस्यों की माँग पर प्रबन्धकारिणी द्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

सूचना अवधि— साधारण स्थिति में प्रबन्धक द्रस्टी समिति, महासचिव संस्थापक द्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी द्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी द्रस्टी समिति का महासचिव संस्थापक द्रस्टी 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंग तथा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति— प्रबन्धकारिणी द्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के $\frac{2}{3}$ उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति— यदि किसी सदस्य के अस्वाभाविक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या द्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी द्रस्टी सदस्यों के $\frac{2}{3}$ के बहुमत से भरा जायेगा जिसमें संस्थापक द्रस्टी प्रथम एवं द्वितीय का अनुमोदन आवश्यक है यह प्रक्रिया संस्थापक द्रस्टी को भरने के लिए लागू नहीं होगी। नये सदस्य की

Ramlalha Yashav


क्रम संख्या 2207 स्टाम्प वर्षाणी 50/-

स्टाम्प दिनेंद्रिय की तिथि 02-08-17

स्टाम्प क्रम करने का प्रयोजन 50/-

स्टाम्प केंद्र का नाम व पुरा पता... एम्ब. 2202

स्टाम्प लिखे समैक्य प्राप्त राय
लाठो जौ-100 सदर-मक्का



न्यासी

Registration No.: 104

Year : 2,017

Book No. : 4


0101 रामलखन यादव

विजयशंकर यादव

निजामुद्दीनपुरा तहसील-सदर जनपद-मक्का

व्यापार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 101308

नियुक्ति मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त 1,00,000.00 रुपये नगद या उतने की सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद मुख्य ट्रस्टी अथवा महासचिव ट्रस्टी के हस्ताक्षर से निर्गत होनी आवश्यक है। प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य— प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

- 1— बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।
- 2— ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।
- 3— ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, विनियमितिकरण का अनुमोदन करना।
- 4— आय—व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

21. ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया—

समय—समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकती है। नियमावली की कटिंग अशुद्धि, संशोधन छुटे हुए शब्द अथवा वाक्य को अनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा।

22. ट्रस्ट (न्यास) के कोष—

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक ट्रस्टी के हस्ताक्षर से किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

23. ट्रस्ट (न्यास) के आय—व्यय का लेखा परीक्षण—

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था का आय—व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

24. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व—

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित नियुक्त कर सकती है।

25. ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख—

ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे— सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक संस्थापक ट्रस्टी के पास होंगे।

Ramakrishna Yadav

क्रम सं 2208 स्टाम्प बनराजी 50/-
 स्टाम्प विक्रेता की तिथि 6.2.2017
 स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन 2202
 स्टाम्प क्रेता का नाम व पुरा फॉर्म 2202

स्टाम्प विक्रेता रामलखन यादव
 ल. नं १०० सदर-मऊ



यास पत्र						
25,000.00		500.00	60	560.00	20	पृष्ठों की संख्या
न्यास की राशि		फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग		
श्री रामलखन यादव						
पुत्र श्री विजयशंकर यादव						

व्यावसाय व्यापार

निवासी स्थायी निजामुद्दीनपुरा तहसील-सदर जनपद-मऊ
 अस्थायी पता निजामुद्दीनपुरा तहसील-सदर जनपद-मऊ
 ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 4/8/2017 समय 2:56PM
 वजे निवन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नन्द लाल
 उप निवन्धक सदर

मऊ

4/8/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
 न्यासी



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान विजयशंकर यादव

जगरनाथ यादव

पेशा कृषि

निजामुद्दीनपुरा तहसील-सदर जनपद-मऊ

व महेन्द्र यादव

शिवलोचन

पेशा कृषि

निवासी सहादतपुरा तहसील-सदर जनपद-मऊ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

एन० लाल (निवन्धन सहायक)

हस्ताक्षर-

D



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नन्द लाल

उप निवन्धक सदर

मऊ

4/8/2017

Government of India

विजयशंकर यादव

Vijayshankar Yadav
जन्म तिथि / DOB : 01/07/1956
पुरुष / Male



3220 2877 4742

आधार - आम आदमी का अधिकार

Unique Identification Authority of India

पता: असम्बृद्ध जगन्नाथ यादव,
अल्लर टिक्के फुटर कॉलेज के पास,
लिङ्गमुद्दीपन, मानवाद मंडल, एड.
संक. उत्तर प्रदेश, 275101

Address: S/o. Jagannath Yadav, near
alled hind intz college, nizamuddinpur,
Maunath Bhajan, Man. Mau, Uttar
Pradesh, 275101

3220 2877 4742



1847
1800 300 1847



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in



Government of India

राम लक्ष्मन यादव
Ram Lakhan Yadav
जन्म तिथि DOB: 10/12/1992
लूम /MALE

8130 0944 4535

आधार-आम आदमी का अधिकार

Unique Identification Authority of India

पर्याप्त:
S/o विजय शंकर यादव,
लिहाजा यादव, विकास नगर,
नियमनगढ़ीपुरा, बालापाटा
बलापाटा, पट्टा
उत्तर प्रदेश - 275101

Address:
S/o Vijay Shankar Yadav, Lihaja
childred school, Niyamnagar,
Manohar Bhawan, Main
Uttar Pradesh - 275101

8130 0944 4535

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

Ramakrishna Yadan





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AD 412791

26. वी०एस०वाई० ट्रस्ट (न्यास) के पास इस सदस्यता शुल्क के माध्यम से रु० 25,000.00 (पच्चीस हजार रुपये) प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध है।

27. ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पति के निस्तारण की कार्यवाही— ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

28. ट्रस्ट (न्यास) संस्था का किसी भी कारण से विघटन होता है तो उस दशा में ट्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्वामित्व संस्थापक ट्रस्टी का होगा।

29. ए— हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, प्राविधिक तकनीकी, चिकित्सा, व्यवसायिक, औद्योगिक आदि की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना। 29बी— संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10 / 23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

29सी— केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना का जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

29डी— आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

दिनांक : 04.08.2017

दस्तखत गवाह



ପାଞ୍ଜାବୀରେ ଲାଗୁ
କଥା - ଅନ୍ତର୍ମାନିକାରୀ ପିଲାଇଟ୍ ପାଞ୍ଜାବୀ
9415219640

Ramlakhan Yachan

संदेशपत्र नमूना योगिवलादा
स्थान- सिराजुल्लह, दरवाजा- मख्मूर
पुस्तकालय 32

काम सं० २२०९ स्टाप बनगढ़ी १५-

स्टाप डिकेंड की तिथि ०२.०८.१७

स्टाप दद्द लाले का प्रयोजन

स्टाप छेता का नाम व तुम मी... सं० २२०२

स्टाप बनगढ़ी दद्द राय
सं० २२०२

STAMP 2
प्रयोजन
०२.०८.१७

S.T.O.
गोप

आज दिनांक ०४/०८/२०१७ को

बही सं. ४ जिल्द सं. ५१

पृष्ठ सं. २४१ से २६० पर क्रमांक १०४

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

गजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

nl
नन्द लाल

उप निबन्धक सदार

मऊ

४/८/२०१७



गोप निवास इलाहाबाद
गोप निवास इलाहाबाद



भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India
नामोंकरण क्रम / Enrollment No.: 1058/60131/11354

To
महेंद्र यादव
Mahendra Yadav
S/o: Shiv Lochan Yadav
SAHADATPURA
Maunath Bhanjan
Mau
Maunath Bhanjan Mau
Uttar Pradesh 275101
20385692814
MP038569281FT



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No.:

3037 2599 1144

आधार - आम आदमी का अधिकार



3037 2599 1144

आधार - आम आदमी का अधिकार



राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राचिकरण



AADHAAR

सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन प्रमाणीकरण द्वारा पाप्त करें।

INFORMATION

- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.

- आधार देश भर में साम्य है।
- आधार भविष्य में सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में उपयोगी होगा।
- Aadhaar is valid throughout the country.
- Aadhaar will be helpful in availing Government and Non-Government services in future.



राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राचिकरण

Unique Identification Authority of India

पता:

आम्बज़: शिव लोचन यादव,
सहादतपुरा, मऊनाथ भंजन, मऊ,
मऊ, उत्तर प्रदेश, 275101

Address:
S/O: Shiv Lochan Yadav,
SAHADATPURA, Maunath
Bhanjan, Mau, Mau, Uttar
Pradesh, 275101

3037 2599 1144

1947
1800 200 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in